



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245660
CG-DL-E-04052023-245660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1970]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1970]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2058(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 963 तारीख 1 मार्च 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 28.050 से कि.मी.73.700 तक के भूखण्ड के निर्माण (4 लेन/6 लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17 मार्च 2023 " को "अमर उजाला" हिन्दी में और "द टाइम्स ऑफ इंडिया " अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे NE-6 के कि.मी. 28.050 से कि.मी.73.700 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित और संरचना सहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: उन्नाव		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: उन्नाव				
	गांव का नाम: अड़ेरुवा				
1	1921	निजी	कृषि	0.043	रामनरेश, सुरेश चन्द्र पुत्रगण देशराज नि.ग्राम (1921)
	गांव का नाम: गौरी शंकरपुर ग्रांट				
2	548	निजी	कृषि	0.045	बेदनाथ पुत्र ओंकारनाथ नि0 पड़री कला (548)
	गांव का नाम: जरगाँव				
3	2881	निजी	कृषि	0.0405	संतोष कुमार पुत्र रामऔतार राजरानी पत्नी रामऔतार नि.बाबा खेडा म0 ग्राम तह0 व जिला उन्नाव (2881)
4	3158	निजी	कृषि	0.08	कमलाकान्त पुत्र हिन्दपाल नि.नया खेडा म0 नेवरना रामखेलावन पुत्र महावीर नि0 जरगाँव श्रीमती अनीता पत्नी सुभाष व श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी रामराज नि0 बाबा खेडा म0 जरगाँव पर0 हडहा तह0 व जिला उन्नाव (3158)
	गांव का नाम: कोरारी कलां				
5	3654	निजी	कृषि	0.037	गणेशशंकर मिश्र, रमेशचन्द्र मिश्र पुत्रगण भास्करदत्त व दिवाकर दत्त पुत्र स्वामीदयाल नि. जगजीवनपुर (3654)
	गांव का नाम: तौरा				
6	2452	निजी	कृषि	0.2	श्रीमती रामरती पत्नी गंगाराम नि.खरगीखेडा (2452)
			कुल	0.4455	

[फा. सं. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D2]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2058(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 963 (E) dated 01 March 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four lain with paved Shoulder/ Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “The Times of India” both dated 17 March 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling Kanpur-Lucknow Expressway NE-6 in the stretch of land from Km. 28.050 to Km. 73.700 in the district of UNNAO in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: UNNAO		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Unnao				
	Village: Aderwa Khas				
1	1921	Private	Agriculture	0.043	Ramnaresh, Suresh Chandra S/o Deshraj R/o Village. 1921
	Village: Gauri Shankerpur Grant				
2	548	Private	Agriculture	0.045	Bednath S/o Omkarnath R/o Padari Kalan. 548
	Village: Jar Gaon				
3	2881	Private	Agriculture	0.0405	Santosh Kumar S/o Ramautar Rajrani W/o Ramautar R/o Baba kheda M. Village Tehsil & Distt. Unnao 2881
4	3158	Private	Agriculture	0.08	Kamlakant S/o Hindpal R/o Naya kheda m. Neverana Ramkhelawan S/o Mahavir R/o Jargaon Smt. Anita W/o Subhash Smt. Santosh Kumari W/o Ramraj R/o Baba kheda M. Jargaon

					pargana Hadaha Tehsil & Distt. Unnao 3158
	Village: Korari Kalan				
5	3654	Private	Agriculture	0.037	Ganesh Shankar Mishra, Ramesh chandra S/o Bhaskardatt & Diwakardatt S/o Swamidayal R/o jagjivanpur. 3654
	Village: Taura				
6	2452	Private	Agriculture	0.2	Smt. Ramrati W/o Gangaram R/o Khargikheda. 2452
			TOTAL	0.4455	

[F. No. NHAI/25016/LA/2018/Notification/PIU/Lucknow/3D2]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.